रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एल.)-127 REGISTERED NO. I (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 11] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 7, 1988/पौष 17, 1909
No. 11] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 7, 1988/PAUSA 17, 1909

केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1988

आदेश

सा. का. नि. 15(अ).—विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, श्री बी०वी० कुमार, पदेन अपर सचिव, भारत सरकार को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए विशेष रूप से सशक्त करती है।

[फा.सं. 671/7/87-सी.शु. VIII]
सी० राजन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 7th January, 1988

ORDER

G. S. R. 15 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974), the Central Government hereby specially empowers Shri B. V. Kumar, ex-officio Additional Secretary to the Government of India, for the purpose of the said section.

[F. No. 671|7|87-CUS. VIII]

C. RAJAN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1988